

बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25,
पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001

ध्यानाकर्षण: हर्षद नायक, सहायक प्रबंधक, सूचीकरण अनुपालन

विषय: "मध्यप्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का निधियन करने के लिए पीएफसी ने एनबीपीसीएल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए" विषय पर दिनांक 26 मई, 2020 को "www.livemint.com" पर आने वाली खबर पर स्पष्टीकरण/पष्टि"

महोदय,

यह उपर्युक्त विषय पर आपकी दिनांक 27 मई, 2020 की ई-मेल के संदर्भ में है।

इस संबंध में आपको बताया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक वित्तीय संस्थान है, जिसका निगमन भारत में विद्युत क्षेत्र विकास को वित्त-पोषण, सुविधा प्रदान करने एवं प्रसार करने के लिए किया गया और भारत के राष्ट्रपति की हमारी इक्विटी शेयर पूंजी में 55.99% की धारिता है। पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1,00,603 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1,16,233 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 95,230 करोड़ रुपए की राशि के ऋण संस्वीकृत किए।

नर्मदा नदी पर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं और बारह मुख्य बहुप्रयोजनीय सिंचाई परियोजनाओं के विद्युत घटकों को वित्त-पोषण प्रदान करने के लिए सहयोग करने हेतु पीएफसी और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एनबीपीसीएल), मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम एवं नर्मदा वैली डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए नोडल एजेंसी के बीच दिनांक 27 मई, 2020 को एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया। इन सभी 12 बहुप्रयोजनीय सिंचाई परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत लगभग 22,000 करोड़ रुपए है। तथापि, यह समझौता-ज्ञापन हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं और उक्त परियोजनाओं के केवल विद्युत घटकों के वित्त-पोषण के लिए अभी पीएफसी के ऊपर निर्भर है, जिस पर विस्तृत उचित कारवाई अभी की जानी है।

चूंकि पीएफसी एवं एनबीपीसीएल के बीच केवल एमओयू पर ही हस्ताक्षर हुए हैं जो संबंधित मंशा को दर्शाता है, अतः कोई भौतिक प्रभाव संभावित नहीं है तथा पीएफसी से कोई समरूपी राशि संस्वीकृत या संवितरित नहीं की गई है। इन हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं और विद्युत घटकों के लिए वित्तीय सहायता पर परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों के साथ पीएफसी की मौजूदा नीति के अनुसार विस्तृत उचित कारवाई/विस्तृत आकलन किए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।

कृपया नोट करें कि कंपनी के बारे में निवेशकों को नवीनतम संबंधित सूचना से अवगत कराने एवं उनके द्वारा सुविचारित निर्णय लेने में मदद करने हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के परिचालन/कार्य-निष्पादन से संबंधित सभी कार्यक्रमों, सूचनाओं को एक्सचेंज को नियमित रूप से एवं समय पर सूचित किया जाता है, जिसमें सभी कीमत संवेदनशील सूचनाएं शामिल हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों को पहले से प्रस्तुत सूचना/उद्घोषणाओं के अतिरिक्त, हमारे मत में पीएफसी के इक्विटी स्ट्रिप में कीमत/वॉल्यूम व्यवहार से संबंधित अब तक कोई अन्य कीमत संवेदनशील सूचना/उद्घोषणा नहीं की गई है।

यदि अपेक्षित हो तो हम इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
सीजीएम (सीपी एवं कंपनी सचिव)
mb@pfcindia.com